परिशिष्ट -क

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का विवरण

- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत लाभार्थीपरक योजनाओं को निम्न तीन मुख्य गतिविधियों में जोड़ा जायेगा।
- मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाना।
- कलस्टर/समिति/समूह (ग्रुप्स) आधारित फार्मिंग।
- मत्स्य प्रसंस्करण एवं महिला सशक्तीकरण।

योजना का उद्देश्य

- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना राज्य में मत्स्य पालन व्यवसाय अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने, कार्यरत मत्स्य पालक/समितियाँ/समूह/महिला समूह (ग्रुप्स) आदि को सशक्त करने, उत्पादकता को बढाये जाने, मूल्य श्रृंखला का सुदृढीकरण, मजबूत मत्स्य प्रबन्धन ढांचा, मत्स्य पालकों का कल्याण करते हुए मत्स्य उत्पादन को बढाया जाना है।

योजना का फंडिग पैर्टन

- योजना हेतु बजट व्यवस्था राज्य सैक्टर अन्तर्गत की जायेगी जिसमें आय व्ययक के अन्तर्गत अनुमोदित बजट से वर्ष में कार्य किये जायेंगे।
- योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष निम्नानुसार लाभार्थीपरक गतिविधियों में निम्नानुसार अनुदान देय होगा –

अवसंरचना निर्माण सम्बन्धी गतिविधियॉ	• सामान्य वर्ग–50 प्रतिशत • अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला–60 प्रतिशत • महिला आधारित गतिविधि–60 प्रतिशत
कार्यरत मत्स्य पालकों हेतु इनपुट सम्बन्धी गतिविधि	समस्त वर्गों हेतु – 50 प्रतिशत
बीमा आधारित गतिविधि	• समस्त वर्गों हेतु — 90 प्रतिशत
	• योजना अंश — 100 प्रतिशत

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, R.O-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

कौशल विकास सम्बन्धी गतिविधि एवं अन्य	

योजना का संचालन एवं अनुश्रवण

- योजनान्तर्गत निर्धारित परियोजना लागत के अनुरूप गतिविधियों को जनपद में संचालित किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी द्वारा योजना का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- मण्डलीय उप निदेशक द्वारा समय समय पर योजना में किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा।
- योजना में स्वीकृत गतिविधियों के अतिरिक्त समय–समय पर नवीन गतिविधि को जोड़ने/मानक परिवर्तन आदि हेतु निम्नानुसार **"परियोजना अनुश्रवण एवं निगरानी समिति"** गठित की जायेगी–

1.	सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन	— अध्यक्ष
2.	निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड	— सदस्य
3.	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	–सदस्य
4.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	— सदस्य
5.	उप निदेशक, मत्स्य विभाग (नियो०), मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड	— सदस्य सचिव

योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर होने वाले कार्यों तथा आउटकम के मूल्यांकन का कार्य तृतीय पक्ष से कराया जायेगा।

क्र० सं०	गतिविधि	यूनिट लागत (लाख में)	अभ्युक्ति
	—नवीन गतिविधियाँ—		
1	लघु आर०ए०एस० यूनिट की स्थापना (50 घन मीटर का	रू0 4.50 लाख प्रति यूनिट	• एक व्यक्तिगत लाभार्थी को आर०ए०ए०स/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम की अधिकतम 02 यूनिट हेतु अनुदान देय होगा।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

	1 टैंक) / बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मीटर डायमीटर एवं 1. 5 मीटर ऊँचाई के 3 टैंक)		• परन्तु 02 यूनिट हेतु अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जब लाभार्थी अलग अलग भूमि/खेत/स्थान में उक्त कार्य को करता है। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ फैडरेशन/ महासंघ /स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ महिला मंगल दल/नवुयवक मंगलदल आदि की स्थिति में अधिकतम 04 यूनिट हेतु अनुदान देय होगा, परन्तु उक्तानुसार एक साथ 04 यूनिट का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। • निर्मित की जाने वाली अवसंरचना के अन्तर्गत निम्न आवश्यक उपकरणों का संयोजन होना आवश्यक है – • **आर०ए०एस०**– मैकेनिकल ड्रम फिल्टर/ प्रेशर फिल्टर/यू०वी० फिल्टर/सैण्ड फिल्टर • **बायोफ्लॉक**– बायोलॉजिकल फिल्टर, एयर ब्लोवर • लाभार्थी द्वारा आर०ए०एस०/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम की स्थापना के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों द्वारा सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जायेगा। • एक साथ 02 यूनिट का निर्माण किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा एवं ऐसे लाभार्थियों को केन्द्रपुरोनिधानित योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा।
2	एंग्लिंग बीट विकास	रू0 2.10 लाख प्रति यूनिट	• राज्य के पर्वतीय जनपदों में नदियों में एंग्लिंग कार्यो हेतु बीट स्थानीय स्तर पर गठित महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, नव युवक मंगल दल आदि को बीट आंवटित किये जाते हैं। • इन बीटों को पर्यटन के दृष्टिगत विकसित किया जायेगा।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

S. No.	Item	Unit	Rate	Qty	Amount (Rs.)
1	Site Development	LS	50,000	1	50,000.00
2	Mixed Fixed Assests	LS	160000	1	1,60,000.0
			Total		2,10,000.0

- बीटों का चयन जनपदीय अधिकारी/ब्लॉक/ फील्ड कार्मिक द्वारा एंग्लगर्स की संख्या, उपयोगिता आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए चयन किया जायेगा।
- बीट के विकास हेतु अनुदान धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी समिति/ समूह/महिला मंगल दल/ स्वयं सहायता समूह/नव युवक मंगल दल/आदि को उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु समिति से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरान्त समस्त सामग्री अगली कार्यदायी संस्था/विभाग को हस्तगत कर दी जायेगी।
- 01 बीट के विकास हेतु एक ही बार सुविधा अनुमन्य होगी।

3	केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी० एफ० (FIDF) योजना हेतु ब्याज सबवेंशन	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	• मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास हेतु बुनियादी ढांचे में उत्पन्न गैप को भरने के लिए मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक समर्पित फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत • **Interest subvention** : Up to 3% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure facilities • **Lending Rate of interest** : Not lower than 5% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure

Generated from eOffice by DEE P KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			facilities • सामान्य बजट प्रक्रिया के माध्यम से बजट की सीमित उपलब्धता होती है और अधिकांश अनुदान आधारित है, जबकि व्यवसायिक रूप से मात्स्यिकी क्षेत्र को स्थापित किये जाने हेतु ऋण आधारित वित्तपोषण की आवश्यकता है। • राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र अन्तर्गत उद्यमियों को आकर्षित किये जाने तथा राज्य में मत्स्य व्यवसाय मॉडल को स्थापित किये जाने हेतु एफ०आई०डी०एफ० (FIDF) योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को योजना द्वारा 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
4	अवसंरचनाओं एवं लाईवस्टॉक का बीमा	प्रीमियम धनराशि के अनुसार	राज्य में बीमा हेतु निम्नानुसार अवसंरचनाओं एवं लाईवस्टॉक को आवरित किया जायेगा– • विभागीय योजनाओं, अन्य योजनाओं अथवा स्वयं के संसाधनों से निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर/ अवसंरचना, जिसमें मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। • उक्त अवसंरचनाओं में संचित मत्स्य प्रजातियाँ लाईवस्टॉक। **बीमा कराये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी –** • अवसंरचनाओं में मत्स्य बीज संचय किये जाने से पूर्व लाभार्थी द्वारा विभागीय अधिकारी/ फील्ड कार्मिक को अवगत कराया जायेगा एवं विभागीय अधिकारी/ फील्ड कार्मिक द्वारा यथासम्भव प्रयास करते हुए अपने समक्ष मत्स्य बीज का संचय कराया जायेगा। • लाभार्थी द्वारा राजकीय प्रक्षेत्र/हैचरी से मत्स्य बीज क्रय को प्राथमिकता दी जायेगी।

Generated from eOffice by DEEPKANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			• लाभार्थी द्वारा जिस भी स्रोत से मत्स्य बीज क्रय किया जाय, उसका बीजक मूल रूप में अपने पास सुरक्षित रखेगा। • मत्स्य बीज संचय के समय लाभार्थी द्वारा जियोटेग फोटोग्राफ लिये जायेंगें एवं ऐसे फोटोग्राफ को सुरक्षित रखा जायेगा। • साथ ही इनपुट मद में क्रय अन्य सामग्रियाँ जैसे कि मत्स्य आहार, दवाईयाँ, आदि के भी बीजक मूल रूप में सुरक्षित रखे जायेंगें। • बीमा हेतु धनराशि का व्यय योजना अंश – 90 प्रतिशत लाभार्थी अंश – 10 प्रतिशत • भारत सरकार से इस मद में बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत योजना का अभिसरण (कन्वरजेन्स) किया जा सकेगा तथा उसी अनुपात में योजना अंश कम हो जायेगा।
5	एक्वाकल्चर हेतु सोलर पावर सर्पोट सिस्टम	वास्तविक लागत ; अधितम रू0 15.0 लाख प्रति यूनिट	• सोलर पावर सर्पोट सिस्टम हेतु निम्नानुसार लाभार्थियों का चयन किया जायेगा – ◦ पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 500 वर्ग मीटर में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा हो। ◦ मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 हैक्टेयर में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा हो। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी/मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ/स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/ नवयुवक मंगलदल आदि को अधिकतम 01 यूनिट देय होगी। • सोलर पावर सर्पोट सिस्टम के अन्तर्गत जलापूर्ति पम्प, एयेरेटर आदि को संचालित किये जाने की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
6	ट्राउट रिपेयरिंग यूनिट	रू0 0.90 लाख प्रति	• निजी क्षेत्र में ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन कार्यों हेतु ट्राउट रियरिंग यूनिटों की

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL RO- DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			यूनिट	स्थापना की जायेगी। • ट्राउट रियरिंग यूनिट अन्तर्गत ट्रे, ट्रफ एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी। 01 यूनिट – ट्राउट रियरिंग यूनिट

S. No.	Item	Unit	Amount (Rs.)
1	Rearing unit Trough with minimum 10 trays, stand, water channel/supply shed and miscellaneous works	01	90000.0

• ट्राउट रियरिंग यूनिट अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले ट्रफ का साईज न्यूनतम 2170×420×170 एम०एम० होगा, जिसकी मोटाई न्यून्तम 3 एम०एम० होगी। ट्रफ, फाईबर अथवा पोलीप्रोपलाईन अथवा हेवी डयूटी एफ०आर०पी० जैसी सामग्री से निर्मित होगा। ट्रफ में जलापूर्ति, ड्रेन आउटलेट, ग्रूवस आदि हेतु अपेक्षित व्यवस्थायें सम्मिलित होनी आवश्यक है।

• योजनान्तर्गत मात्र ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, जिनके द्वारा न्यूनतम 2 वर्षों से ट्राउट फार्मिंग का कार्य किया जा रहा है।

• एक ट्रफ के अन्तर्गत 05 ट्रे संयोजित की जायेगी, जिसमें 01 ट्रे का साईज न्यून्तम 420×420×170 एम०एम० होगा। ट्रे, फाईबर अथवा पोलीमाईड अथवा स्टील इम्बेडेड फाईबर ग्लास फूड ग्रेड पी०वी०सी० जैसी सामग्री से निर्मित होगा। ट्रे में आवश्यक मेश साईज की जाली की व्यवस्था भी की जायेगी।

• एक निर्जी व्यक्ति को अधिकतम 02 यूनिट जबकि मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ फैडरेशन/ महासंघ/ स्वयं

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नवयुवक मंगलदल आदि को निम्नानुसार यूनिट देय होंगे– ◦ न्यूनतम 10 ट्राउट रेसवेजों में ट्राउट फार्मिंग कार्य – अधिकतम 04 यूनिट ◦ न्यूनतम 20 ट्राउट रेसवेजों में ट्राउट फार्मिंग कार्य – अधिकतम 06 यूनिट
7	मत्स्य सहेली	रू0 10.00 लाख प्रति यूनिट (डी.पी. आर. आधारित)	• व्यक्तिगत महिला अथवा जनपद/ब्लॉक स्तर पर गठित महिला समूह/महिला समिति/समूह(ग्रुप) आदि। • लाभार्थी द्वारा मछलियों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर विक्रय करने के कार्य किये जायेंगें। ◦ गठित मत्स्य सहेली द्वारा ब्लॉक में कार्यरत मत्स्य पालकों से मछलियों का क्रय करते हुए मत्स्य उत्पाद तैयार किये जायेंगें। • एक ब्लॉक (Potential Block) में अधिकतम 01 "मत्स्य सहेली" तैयार किया जा सकेगा। • जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रयास किये जायेगें कि जनपद स्तर पर 01 सशक्त "मत्स्य सहेली ग्रुप" तैयार किया जाय। • चयनित लाभार्थी द्वारा जिले में निर्धारित एक ब्रॉण्ड अथवा केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित एक ब्रॉण्ड के नामें ही उत्पादों का विक्रय किया जा सकेगा। • एक यूनिट अन्तर्गत मत्स्य उत्पाद तैयार किये जाने हेतु उपकरण क्रय, कार्यालय कम कक्ष, फ्रीजर, आईस बॉक्स, फेबरीकेशन, आदि कार्य किये जायेंगें।
8	सघन मत्स्य पालन	रू0 0.04 लाख प्रति 1000	• सघन मत्स्य पालन एवं उच्च वृद्धि दर वाली प्रजातियों के पालन को प्रसारित किये जाने हेतु यह गतिविधि संचालित की जायेगी।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, R.O-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			फिंगरलिंग	• पूर्व से कार्यरत मत्स्य पालक/मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल / नवयुवक मंगल दल आदि, जिनके द्वारा कम से कम 01 वर्ष से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, को योजना से लाभान्वित किया जायेगा। • योजना के अन्तर्गत स्वयं के जलक्षेत्र/मनरेगा/ आतमा/कृषि एवं अन्य द्वारा निर्मित तालाब/अमृत सरोवर आदि जिनमें मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, को लाभान्वित किया जायेगा। • उच्च वृद्धि दर वाली प्रजातियाँ यथा पंगेशियस, मुरूेल, तिलैपिया (गिफ्ट तिलैपिया), कोई (Koi) एवं भारतीय मांगूर प्रजातियों आदि हेतु अनुदान देय होगा। • विभाग द्वारा समय–समय पर मत्स्य पालन हेतु आवश्यकतानुरूप अन्य प्रजातियों को उक्त सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। • तालाब, आर०ए०एस०, बायोफ्लॉक, आदि के लाभार्थियों हेतु क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम मत्स्य बीज की मात्रा निर्धारित कर देय होगी। • मत्स्य पालकों द्वारा स्वयं राजकीय हैचरी/प्रक्षेत्र/संस्था/निजी विक्रेताओं के माध्यम से स्वयं मत्स्य बीज क्रय किया जायेगा। • मत्स्य बीज क्रय हेतु जनपदीय अधिकारी/लाभार्थी द्वारा राजकीय हैचरी/प्रक्षेत्र/संस्था को वरीयता दी जायेगी। • लाभार्थी द्वारा मत्स्य बीज क्रय से पूर्व सम्बन्धित फील्ड अधिकारी को सूचित किया जायेगा एवं फील्ड अधिकारी जलक्षेत्र में मत्स्य बीज संचय के समय उपस्थित रहने

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			के प्रयास किये जायेंगें, जिससे कि प्रमाणिकता जांची जा सके। यदि संचय के दिवस फील्ड अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाया है, तो अधिकतम 02 सप्ताह के अन्तर्गत मौके पर उपस्थित होकर मत्स्य बीज संचय की पुष्टि की जायेगी। • लाभार्थी को अनुदान की धनराशि बीजक एवं फील्ड अधिकारी की मत्स्य बीज संचय रिर्पोट के आधार पर भुगतान की जायेगी। • एक लाभार्थी को अधिकतम 02 वर्षों हेतु यह सुविधा देय होगी। तद्पोरान्त लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से ही मत्स्य पालन का कार्य किया जायेगा।
9	कार्यान्वयन एजेंसी को सहायता	योजना के वार्षिक बजट का अधिकतम 2.5 प्रतिशत	• जनपदों अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों के संचालन, सहकारिता स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत किये जाने, कार्यरत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों एवं मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उत्पादन से लेकर मत्स्य विपणन तक सहयोग करने हेतु ट्राउट महासंघ/फैडरेशन के माध्यम से क्षमता का विकास किया जायेगा। • योजना से ट्राउट महासंघ/फैडरेशन को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करके मजबूत किया जायेगा एवं योजना के संचालन एवं प्रभावी अनुश्रवण कराया जायेगा। • राज्य स्तरीय महासंघ/फैडरेशन को वार्षिक रूप से बजट उपलब्ध कराया जायेगा, जो वार्षिक बजट का अधिकतम 2.5 प्रतिशत होगी।
	—पूर्व से स्वीकृत योजना की गतिविधियाँ जो समाहित की जा रही है—		
10	पर्वतीय क्षेत्र में कलस्टर आधारित मत्स्य पालन (तालाब निर्माण)	रू0 0.01 लाख प्रति घ न मीटर	• तालाब की न्यूनतम गहराई 1.25 मीटर होगी। • तालाब की लम्बाई एवं चौड़ाई भूमि की उपलब्धता के अनुसार तय की जायेगी।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			• उक्त दर कच्चे तालाब को तैयार करने, तालाब में पॉलीथीन आदि कार्य के साथ प्रथम वर्षीय इनपुट लागत सहित होगा। **Sl. No. / Items / Unit / Qty / Amount (Rs.)** A — Capital Cost — Cum — 1 — 850.0 B — Operational Cost — Cum — 1 — 150.0 Total — 1000.0 • तालाब का निर्माण कलस्टर के अन्तर्गत किया जायेगा जिसमें एक गांव मे न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेंगे। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घ ान मीटर हेतु अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/ महासंघ /स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ महिला मंगल दल/नवुयवक मंगलदल आदि की स्थिति में 100 घन मीटर × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा, जो अधिकतम 1000 घन मीटर के अनुदान हेतु सीमित होगा। • लाभार्थी द्वारा तालाब निर्माण के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संशाधनों से सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जायेगा।
11	मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण	रू0 11.0 लाख प्रति हैक्टेयर	• तालाब की न्यूनतम गहराई 1.50 मीटर होगी। • न्यूनतम 0.05 हैक्टेयर का तालाब ही योजना के अन्तर्गत तैयार किया जायेगा। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 2.0 हैक्टेयर तक अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/ महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ महिला मंगल दल/ नवुयवक मंगलदल आदि की स्थिति में 1 हैक्टेयर ×

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			सदस्यों की संख्या के समतुल्य तालाब के क्षेत्रफल हेतु अनुदान देय होगा, जो अधिकतम 10 हैक्टेयर के अनुदान तक सीमित होगा। **Sl. No. / Items / Unit / Qty / Amount (Rs.)** A — Capital Cost — Hectare — 1.0 — 700000.0 B — Operational Cost — Hectare — 1.0 — 400000.0 Total — 1100000.0 • लाभार्थी द्वारा तालाब निर्माण के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों से सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जायेगा।
12	पर्वतीय क्षेत्र में तालाब सुधार	रू0 0.00575 लाख प्रति घन मीटर	• ऐसे व्यक्तिगत/ग्राम समाज/ मनरेगा/कृषि आदि विभिन्न स्तरों पर निर्मित तालाब, जिनमें गत 05 वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है एवं वर्तमान में मरम्मत योग्य स्थिति में है, हेतु ही योजना में लाभान्वित किया जा सकेगा। • प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा गत 05 वर्षों से तालाब में मत्स्य पालन कार्य किये जाने सम्बन्धी प्रमाणक प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह भी प्रमाणित किया जायेगा कि गत 05 वर्षों में सुधार हेतु अन्यत्र से कोई राजकीय सहायता नहीं ली गयी है। • स्वीकृता अधिकारी द्वारा गत पांच वर्षों में प्राप्त उत्पादन के आंकलन के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति की जा सकेगी। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 02 यूनिट हेतु अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/ महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, R O-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			देयता समूह/ महिला मंगल दल/ नवयुवक मंगल दल आदि की स्थिति में 1 यूनिट × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा, जो अधिकतम 5 यूनिट के अनुदान हेतु सीमित होगा। • लाभार्थी द्वारा तालाब सुधार के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों से सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जायेगा।
13	मैदानी क्षेत्र में निजी/ग्राम समाज के तालाबो का सुधार	रू0 7.50 लाख प्रति हैक्टेयर	• जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं देहरादून में ग्राम समाज के तालाब/निजी क्षेत्र में निर्मित तालाब जो सुधार योग्य दशा में है, को योजना में लाभान्वित किया जा सकेगा। • प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि गत 10 वर्षों में सुधार हेतु अन्यत्र से कोई राजकीय सहायता नहीं ली गयी है तथा गत 10 वर्षों से तालाब में मत्स्य पालन किया जा रहा है। • स्वीकृता अधिकारी द्वारा स्वीकृति से पूर्व पट्टे की अवशेष अवधि को भी देखा जायेगा एवं यदि किसी तालाब पट्टे की अवधि तीन वर्ष से कम बची है, तो ऐसे ग्राम समाज के तालाबों का सुधार नहीं किया जा सकेगा। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को निजी तालाब हेतु अधिकतम 02 हैक्टेयर हेतु जबकि पट्टे के तालाब हेतु अधिकतम 5 हैक्टेयर तक अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/ महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नव युवक मंगल दल आदि की स्थिति में 1 हैक्टेयर × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा, जो अधिकतम 5 हैक्टेयर के अनुदान हेतु सीमित होगा।

Sl. No.	Items	Unit	Qty	Amount (Rs.)

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, R-O-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			A	Capital Cost	Hectare 1.0	350000.0
			B	Operational Cost	Hectare 1.0	400000.0
				Total		750000.0
			• लाभार्थी द्वारा तालाब सुधार के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों से सुनिश्चित तरीके से संचालित किया जायेगा।			
14	समन्वित मत्स्य पालन (पर्वतीय क्षेत्र)	रू0 2.00 लाख प्रति यूनिट	• पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर के तालाब पर 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (समन्वित यूनिट) निर्मित किया जायेगा। • समन्वित यूनिट के निर्माण हेतु मात्र ऐसे लाभार्थियों को चयनित किया जा सकेगा, जिनके द्वारा गत 05 वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। • प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि गत 5 वर्षों से तालाब में सफलतापूर्वक मत्स्य पालन किया जा रहा है। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को निजी तालाब हेतु अधिकतम 01 यूनिट हेतु, जबकि पट्टे के तालाब हेतु अधिकतम 02 यूनिट तक अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नव युवक मंगल दल आदि की स्थिति में 1 यूनिट × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा जो अधिकतम 04 यूनिट के अनुदान हेतु सीमित होगा।			
15	समन्वित मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र)	रू0 7.00 लाख प्रति यूनिट	• मैदानी क्षेत्र में पूर्व से निर्मित न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर के तालाब पर 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (समन्वित यूनिट) निर्मित किया जायेगा। • समन्वित यूनिट के निर्माण हेतु मात्र ऐसे			

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			लाभार्थियों को चयनित किया जा सकेगा जिनके द्वारा गत 05 वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को निजी तालाब हेतु अधिकतम 01 यूनिट हेतु जबकि पट्टे के तालाब हेतु अधिकतम 02 यूनिट तक अनुदान देय होगा। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नवुयवक मंगल दल आदि की स्थिति में 1 यूनिट × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा, जो अधिकतम 04 यूनिट के अनुदान हेतु सीमित होगा।
16	मत्स्य आहार वितरण	मार्केट दर के अनुरूप	• पूरक मत्स्य आहार प्रणाली को प्रोत्साहित करते हुए मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाये जाने हेतु कार्यरत मत्स्य पालकों को मत्स्य आहार वितरण के कार्य किये जायेंगें। • पूर्व से कार्यरत मत्स्य पालक/मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नव युवक मंगलदल आदि जिनके द्वारा कम से कम 01 वर्ष से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, को योजना में लाभान्वित किया जायेगा। • मत्स्य पालकों द्वारा स्वयं राजकीय फीड मिल/संस्था/निजी विक्रेताओं के माध्यम से स्वयं मत्स्य आहार क्रय किया जायेगा। • आहार क्रय हेतु जनपदीय अधिकारी/लाभार्थी द्वारा राजकीय फीड मिल/संस्था को वरीयता दी जायेगी। • आहार के सापेक्ष अनुदान दिये जाने हेतु अधिकतम मूल्य के निर्धारण हेतु विभागीय स्तर पर तीन सदस्य कमेटी गठित कर विभिन्न फर्मों से दरें प्राप्त करने के उपरान्त तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए अधिकतम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			गठित समिति विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जायेगी, जिसमें लेखा / वित्त शाखा के अधिकारी को भी सम्मिलित किया जायेगा। • क्रय की जाने वाली सामग्रियों के बीजकों की प्रमाणिकता आदि की जांच भी ब्लॉक / जनपदीय अधिकारी द्वारा करनी सुनिश्चित की जायेगी। • योजना के द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष अन्तर्गत मत्स्य आहार हेतु चयनित लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे कि उन्हें मत्स्य पालन हेतु मत्स्य आहार प्राप्त होता रहे एवं वे मत्स्य पालन हेतु उनकी रूचि बनी रहें। • लाभार्थी के तालाब / जल संसाधन में मत्स्य पालन का कार्य होने की स्थिति में ही मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जायेगा। • यदि लाभार्थी द्वारा इसी वर्ष मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं इस हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है, तो ऐसे लाभार्थी को उस वर्ष इस मद में लाभान्वित नहीं किया जायेगा। • ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके तालाब / जलक्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु विभाग द्वारा ही मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया हो।
17	अन्य इनपुट सामग्रियाँ	मार्केट दर के अनुरूप	• मत्स्य पालन में विभिन्न इनपुट सामग्रियों की आवश्यकता रहती है, जिसे मत्स्य पालक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण क्रय नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप समुचित रूप से मत्स्य पालन कार्य नहीं हो पाता है। अतः इनपुट सामग्रियों के क्रय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। <u>क) जाल :</u> पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 12×6 मीटर साईज के जाल हेतु अनुदान देय होगा। एक व्यक्तिगत मत्स्य पालक को अधिकतम 01

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			जबकि समिति/ समूह/फैडरेशन/ग्रुप आदि को अधिकतम 02 जाल हेतु अनुदान देय होगा। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 27×6 मीटर साईज के जाल हेतु अनुदान देय होगा। एक व्यक्तिगत मत्स्य पालक को अधिकतम 01 जबकि समिति/समूह/ फैडरेशन /ग्रुप आदि को अधिकतम 02 जाल हेतु अनुदान देय होगा। **ख) हैण्डनेंट** : पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में एक व्यक्तिगत मत्स्य पालक को अधिकतम 01 जबकि एक समिति/समूह/फैडरेशन/ग्रुप आदि को अधिकतम 02 हैण्डनेंट हेतु अनुदान देय होगा। **ग) हापा :** पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में एक व्यक्तिगत मत्स्य पालक को अधिकतम 01 जबकि एक समिति/ समूह/फैडरेशन/ ग्रुप आदि को अधिकतम 02 हापा हेतु अनुदान देय होगा। **घ) मिनीकिट :** पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में एक व्यक्तिगत मत्स्य पालक को अधिकतम 01 जबकि एक समिति/समूह/फैडरेशन/ ग्रुप आदि को अधिकतम 02 मिनीकिट हेतु अनुदान देय होगा। • उक्त सामग्रियाँ यथा जाल, हैण्डनेंट, हापा एवं मिनीकिट अधिकतम एक मत्स्य पालक/ समिति/ समूह/फैडरेशन/ ग्रुप आदि को 04 वर्ष में एकबार देय होगी। • लाभार्थी चयन हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा कम से कम 01 वर्ष से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, जिसके साक्ष्य हेतु क्षेत्रीय मत्स्य प्रभारी द्वारा लाभार्थी के तालाब का निरीक्षण किया जायेगा एवं तालाब की फोटोग्राफ साक्ष्य स्वरूप पत्रावली में रक्षित की जायेगी।
18	प्रशिक्षण (1 बैच = 25 व्यक्ति)	रू0 1.145 लाख	जनपद स्तर पर मत्स्य पालन से जुडने हेतु इच्छुक व्यक्ति, कार्यरत मत्स्य पालकों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

	प्रशिक्षण (1 बैच = 50 व्यक्ति)	रू0 2. 3625 लाख	प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत — • 03 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें मत्स्य पालन, नवीन तकनीकियों का उपयोग, पूरक आहार प्रणाली, रोग एवं निवारण, सघन मत्स्य पालन, अवसंरचना निर्माण एवं प्रबन्धन आदि विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। • मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मात्स्यिकी अनुंसधान, विश्वविद्यालय, के०वी०के० एवं अन्य सम्बन्धित अधिष्ठानों से विषय विशेषज्ञ को आंमत्रित किया जायेगा। • जनपद में 25 अथवा 50 प्रशिक्षणार्थी, आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगें। • प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र भौतिक रूप से ही सम्पन्न कराया जायेगा। • प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय स्तर पर स्वयं अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित मात्स्यिकी संस्थान/ महावद्यिालय /मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र/के०वी०के० के माध्यम से सम्पादित कराये जायेंगें।
19	सेमिनार/वर्कशॉप (1 बैच = 50 व्यक्ति)	रू0 0.25 लाख	जनपद स्तर पर मत्स्य पालन गतिविधियों को प्रसारित करने, नये व्यक्तियों को मत्स्य पालन से जोड़े जाने, कार्यरत मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने, मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े समस्त स्टेकहोल्डर को जागरूक करने आदि हेतु 01 दिवसीय सेमिनार/ वर्कशॉप का आयोजन किया जायेगा। **सेमिनार/वर्कशॉप** • मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मात्स्यिकी अनुंसधान, विश्वविद्यालय, के०वी०के० एवं अन्य सम्बन्धित अधिष्ठानों से विषय विशेषज्ञ को आंमत्रित किया जायेगा, जिसमें न्यून्तम 03 सेशन/लेक्चर दिये जायेगे। • सेमिनार/वर्कशॉप अन्तर्गत कार्यक्रम विभागीय स्तर पर स्वयं अथवा केन्द्रीय अथवा

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-IDK REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

			राज्य सरकार द्वारा संचालित मात्स्यिकी संस्थान/ महाविद्यालय /मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र / के०वी०के० के माध्यम से सम्पादित कराये जायेंगें।
20	फील्ड भ्रमण	रू0 0.10 लाख प्रति व्यक्ति	जनपद स्तर पर कार्यरत मत्स्य पालकों/ मत्स्य पालन से इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य पालन की तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारियाँ व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु 05–07 दिवसीय फील्ड भ्रमण कराया जायेगा। फील्ड भ्रमण हेतु प्रति व्यक्ति रू० 10,000/= की दर से व्यय किया जायेगा। **फील्ड भ्रमण** • मत्स्य पालकों को राज्य के मत्स्य प्रक्षेत्रों/ हैचरियों/संस्थानों एवं अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि के नामचीन मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों/मत्स्य फार्म/कलस्टर आदि का भ्रमण कराया जायेगा। • फील्ड भ्रमण अन्तर्गत एक तकनीकी कार्मिक (न्यूनतम मत्स्य निरीक्षक) अवश्यमेव सम्मिलित होगा, जिनका टी०ए०/डी०ए० नियमानुसार ही वास्तविक देय मद से ही आहरित किया जायेगा। • भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत टी०ए०/रहने की व्यवस्था/स्टेशनरी/भोजन/अन्य मद की धनराशि को आवश्यकता होने पर एक से दूसरे मद में व्यय किया जा सकता है।

योजना का क्रियान्वयन एवं दिशा– निर्देश

I. लाभार्थियों के चयन की स्वीकृति/अनुमोदन संबंधित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकेगा।

II. लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

III. जलसंसाधन अथवा अवसंरचना निर्माण (तालाब/रेसवेज/आर०ए०एस०/

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

बायोफ्लॉक आदि) हेतु लाभार्थियों के प्रस्ताव को भूमि/जलापूर्ति आदि की जांचोपरान्त स्वीकृति का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के उपरान्त अधोलिखित वरीयता के आधार पर सम्बन्धित गतिविधि हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा,

- प्रथम वरीयता –बी०पी०एल० वर्ग के लाभार्थी
- द्वितीय वरीयता–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी, जिनकी वार्षिक आय रू० 2.00 लाख से कम है।
- तृतीय वरीयता –ऐसे लाभार्थी जिनके द्वारा कभी भी किसी भी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
- चतुर्थ वरीयता – ऐसी लाभार्थी जिनके द्वारा न्यूनतम 5 वर्ष पूर्व किसी सरकारी स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त किया गया है।
- इसके उपरान्त भी यदि धनराशि/वार्षिक लक्ष्य अवशेष रहते हैं, तो सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है।

इस हेतु जनपद में एक पंजिका बनाई जायेगी कि आवेदक का नाम, आवेदन की तिथि, पता आदि का अंकन किया जायेगा जिसमें लाभार्थी के ओवदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत कारण सहित विवरण अंकित किया जायेगा। पंजिका के अन्तर्गत समस्त प्रविष्टियों को जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्मित पोर्टलों पर आवेदन आंमत्रण की स्थिति में भी उक्तानुसार नियत तिथियों में आवेदन आंमत्रित किये जा सकेंगे।

IV. योजना के अन्तर्गत जनमानस से आवेदन आंमत्रण राष्ट्रीकृत समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए किया जायेगा। जनपदीय अधिकारियों द्वारा आवेदन आंमत्रण की सूचना समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों तक प्रसारित की जायेगी। साथ ही वेबसाईट/डिजिटल मीडिया/सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी विज्ञापन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

V. इनपुट सामग्रियों हेतु लाभार्थियों के प्रस्ताव को जांचोपरान्त स्वीकृति का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के आधार पर सम्बन्धित गतिविधि हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा, जिस हेतु जनपद में एक पंजिका बनाई जायेगी, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदन की तिथि, पता आदि का अंकन किया जाय।

VI. लाभार्थियों से भूमि की उपलब्धता तथा भूमि पर किसी प्रकार का विवाद न होने का अभिलेखीय प्रमाणक प्राप्त किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा प्रस्तावित जलसंसाधन निर्माण हेतु पूर्ण डी०पी०आर० (प्रारूप संलग्न) उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें वांछित अभिलेख यथा जलसंसाधन निर्माण का प्रस्ताव, पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड), निवास प्रमाण पत्र, भूमि उपलब्धता प्रमाणक, फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र,

Generated from eOffice by DEEP PANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

बी०पी०एल० कार्ड/ हैसियत प्रमाण पत्र, लाभान्वित किये जाने हेतु तृतीय एवं चतुर्थ वरीयता के लिए रू० 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र, मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ उद्यमी (इंटरप्रेन्योर) हेतु रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जैसे वांछित अभिलेख सम्मिलित होंगें।

VII. किसी भी प्रकार की अवसंरचना निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि का प्रमाणक यथा अधिकतम 06 माह पुरानी खसरा खतौनी अथवा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत पट्टे का प्रमाण पत्र अथवा 10 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज का प्रमाणक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

VIII. यदि कार्य अन्तर्गत कोई सामग्री क्रय की जानी है, तो सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/आगणन भी प्रस्ताव/डी०पी०आर० में सम्मिलित होगा। साथ ही लाभार्थी से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि तालब निर्माण पर निर्धारित धनराशि से अतिरिक्त वहन होने वाली धनराशि को लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने स्तर से व्यय किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा इस प्रस्ताव/कार्य हेतु किसी भी अन्य योजना से शासकीय अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

IX. मत्स्य पालन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत करने की स्थिति में आवेदक/लाभार्थी से कार्य प्रारम्भ करने के 05 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कार्य छोड़ने पर योजना हेतु देय अनुदान की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

X. किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष के 1 जनवरी से 31 मार्च तक आवेदन आंमत्रित किये जायेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित लाभार्थी को एक प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी जिसमें आवेदन की पंजीकरण तिथि एवं क्रमांक इंगित होगा। 30 अप्रैल तक आवेदनपत्रों की समीक्षा और आवेदकों/परियोजना स्थल का भौतिक निरीक्षण/सर्वेक्षण करते हुए लाभार्थी को प्रोजेक्ट की स्वीकृति/अस्वीकृति के सन्दर्भ में अवगत कराया जायेगा।

XI. क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य द्वारा लाभार्थी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जा सकेगा।

XII. चयनित स्थल तथा कार्यपूर्ति उपरान्त तालाब की फोटोग्राफ अभिलेखों में रक्षित किये जायेंगे। तालाब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व प्रस्तावित तालाब स्थल एवं लाभार्थी की उच्च गुणवत्ता युक्त स्पष्ट फोटोग्राफ लिया जायेगा, जो प्रस्ताव सम्बन्धी फाईल में रक्षित की जायेगी।

XIII. लाभार्थी द्वारा कार्यपूर्ण किये जाने के उपरान्त अधिकतम 02 सप्ताह के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि का भुगतान/अन्तरण DBT के माध्यम से किया जायेगा। डी०बी०टी० प्रणाली के माध्यम से ही लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी से आधार नम्बर लिया जाना अनिवार्य होगा एवं भुगतान प्रणाली के लिए निर्धारित सॉफ्टवेयर एवं अन्य सभी अभिलेखों/सूची में आधार नम्बर का उल्लेख अवश्यमेव किया जायेगा।

XIV. मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य द्वारा अपने अधीनस्थ जनपदों में निर्माणाधीन

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM

तालाबों/कार्यो का समय—समय पर निरीक्षण किया जायेगा। साथ ही तालाब निर्माण एवं अन्य कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः समय-समय पर तालाबों/कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

XV. उच्च स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण किये जाने का अभिप्राय यह नही होगा कि जनपद मत्स्य प्रभारी/सम्बन्धित फील्ड कार्मिक द्वारा स्वयं तालाबों/कार्यो का निरीक्षण न किया जाय, जनपदीय अधिकारी/फील्ड कार्मिक द्वारा मूल रूप से मानकानुसार तालाब निर्माण हेतु उत्तरदायी होगें।

XVI. पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि रोड हेड से कलस्टर की दूरी अधिक न हो।

XVII. तालाबों में उच्च वृद्वि दर वाली मछलियों का पालन तथा पूरक आहार प्रणाली के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त कर मत्स्य पालक की आय में वृद्वि की जायेगी।

XVIII. लाभार्थियों को एक किश्त अथवा दो किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा। लाभार्थी यदि वित्तीय रूप से सशक्त है एवं एक किश्त में भुगतान हेतु सहमत है, तो ऐसे लाभार्थियों को एक किश्त में भुगतान किया जा सकता है। यदि लाभार्थियों को दो किश्तों में भुगतान किया जाना हो तो, जलसंसाधन निर्माण कराये जाने के कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण होने पर देय अनुदान की धनराशि का 50 प्रतिशत तथा निर्माण कार्य पूर्ण (100 प्रतिशत) होने पर अवशेष 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि दी जायेगी।

XIX. जलसंसाधन निर्माण के कार्य पूर्ण हो जाने पर पानी पूर्ण रूप से भर जाने के उपरान्त ही प्रथम वर्षीय निवेश की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

XX. पर्वतीय क्षेत्र के मानकों के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण मात्र पर्वतीय क्षेत्र में ही किया जायेगा।

XXI. योजना में तैयार कलस्टर हेतु गांव में एक Demonstration बोर्ड, जिसमें राज्य सरकार/योजना का प्रतीक चिन्ह (Logo), गांव का नाम, तालाबों की संख्या, कुल क्षेत्रफल, कुल लागत, अनुदान धनराशि, निर्माण वर्ष, विभाग का नाम एवं योजना का नाम इंगित किया जायेगा।

XXII. योजना हेतु प्रस्तावित धनराशि का न्यूनतम 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना एवं 03 प्रतिशत जनजाति उपयोजना के लिए आरक्षित किया जायेगा। जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्ति/ग्राम के उत्थान हेतु विशेष प्रयास करते हुए समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रत्येक पात्र लाभार्थी/समूह/समिति आदि को लाभान्वित करने हेतु प्रयास किये जायेगें एवं वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर बजट मांग निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए बजट की व्यवस्था की जायेगी।

XXIII. योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मूल निवासी को ही आच्छादित किया जायेगा और आवेदन पत्र के साथ उनका जाति प्रमाणपत्र

Generated from eOffice by DEEP KANDPAL, RO-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 20/11/2023 12:32 PM